

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 15/04/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पी०जी० में अध्ययनरत एवं इटर्नशिप कर रहे छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 2,77,53,000/- (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरपन हजार) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या-125(1), दिनांक- 20.02.2014 एवं सकल्प सख्या-776(1), दिनांक-29.11.2023 एवं समय-समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय संकल्पों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पी०जी० में अध्ययनरत एवं इटर्नशिप कर रहे छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 2,77,53,000/- (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरपन हजार) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-102- होम्योपैथी उपशीर्ष-0001- होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड-20-2210-05-102-0001 अतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में बजट उपबध के माध्यम से प्राप्त राशि से विकल्पनीय होगा ।

(3) इरा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य/निदेशक, होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- सं०-7/हो०कॉ०अ०-37-01/2026-27 के पृष्ठ- 05 /टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव
Havel

ज्ञापांक:- 7 / हो०कॉ०अ०-37-01 / 2026-27.....201 (7B) / स्वा०, पटना, दिनांक:- 15/04/2024

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/निदेशक, होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एव संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
/sach